

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 09, कम्प्यूटरी सेंटर, बसन्त लोक, बसन्त विहार, नई दिल्ली-110057, बसाना कार्यालय : 27 कम्प्यूटरी सेंटर, बसन्त लोक, बसन्त विहार, नई दिल्ली-110057

सौजन्यपूर्ण सूचना (अचल सम्पत्ति का निष्पन्न हो अनुपालन)

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (ब) के तहत]

वित्तीय संस्थानों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक अचल संपत्ति की विधि हेतु सूचना

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभापित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, बिना कच्चा बने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा जमानतियों से बकायों की वसूली के लिए 29 सितम्बर, 2023 (ई-नीलामी तिथि) को "बैजस है जहाँ है", "को है वहीं है" और "को कुछ भी है वहीं है" आधार पर बेचा जाएगा। आधिकार्य मूल्य और जमा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। सांजिक नीलामी में भाग लेने के लिए ईमपीड के हिमांड ड्राफ्ट वाले सिलवन्द लिफाफे को हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के पास 28 सितम्बर, 2023 को शाम 5 बजे तक शाखा कार्यालय: 27 कम्प्यूटरी सेंटर, बसन्त लोक, बसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 में जमा करना होगा।

संपत्ति का विवरण: पंजीकृत ड्रीमवर्ड विक्ट एच फ्लैट नं.-120, जन्मा जेम्स के अंतर्गत, भाग 180000 मीटर, तीसरी मंजिल, फ्लैट नं. 1, सेक्टर-ए-5, नरैला आवासन योजना, नरैला, दिल्ली। 110040 को सेआइट योजना में स्थित है। सीमायु: उत्तर: एएनएच-7 - खुला पूर्व: एनई-119, दक्षिण: एनई-6 प्रवेश, पश्चिम: एएनएच-7, चौड़ी

निष्पन्न एवं शर्तें: ई-नीलामी पॉर्टल <https://sarfaesi.auctiontigger.net> के माध्यम से 29 सितम्बर, 2023 (ई-नीलामी की तिथि) को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट प्रत्येक के अतिरिक्त विस्तार के साथ सम्पन्न होगा।

(1) निर्धारित निविदा/संविदा प्रश्न और बिडों के निष्पन्न तथा शर्तें शाखा कार्यालय: 27 कम्प्यूटरी सेंटर, बसन्त लोक, बसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 पर किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच उपलब्ध होंगी। (2) अचल संपत्ति को आधिकृत मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। (3) बोली पड़ने वाली 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) होगी। (4) उपरोक्त संपत्ति को खरीद के लिए जमा की गई सभी बोली/निविदाओं के साथ "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पत्र में दिये जाने वाले हिमांड ड्राफ्ट के रूप में उपर वर्णित जमा धरोहर राशि संलग्न होनी चाहिए। नीलामी के बाद अप्रफल बोलीदानाओं को हिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। (5) उच्चतम बोलीदान को सफल बोलीदान के रूप में घोषित किया जाएगा, यद्यत् कि वह कानूनी रूप से बोली लागू के लिए योग्य हो और यद्यत् कि बोली की पूर्ण आधिकृत मूल्य से कम न हो। जब प्रस्तावित कोमान इतनी स्पष्ट रूप से अन्याय हो कि ऐसा करना अनुचित हो तो प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार/रद्दीकार कर सकता है। (6) संपादित बोलीदान पूर्व अनुमति के साथ 23 सितम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे अप. के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। (7) सफल बोलीदान के रूप में घोषित व्यक्तिक, कोचक के तुरंत बाद, खरीद राशि/उच्चतम बोली की राशि का 25% जिम्मे ईमपीड राशि शामिल होगी, प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के भीतर जमा करेगा और एसी जमा राशि में चुक करने पर, संपत्ति को निजी सधि द्वारा तत्काल नई नीलामी/बिडों के लिए रखा जाएगा। (8) यदि प्राधिकृत जमा उपरोक्त के रूप में किया जाता है, तो क्रेता द्वारा जमा की राशि का गुमान करना द्वारा अधिकृत अधिकारी को संपत्ति की बिडों की पूर्ण की तारीख से 15दिन दिए जाने परेश फले और यदि 15दिन दिन परिवार या अन्य अकार्यकारी हो, तो 15दि दिन के बाद पहरे कार्यालय दिवस पर जमा करना होगा। ((9) उपरोक्त वर्णित अचल के भीतर किसी भी गुमान में चुक की स्थिति में, संपत्ति को निजी सधि द्वारा नई नीलामी/बिडों के लिए रखा जाएगा। ईमपीड सहित जमा राशि हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब तक ली जाएगी और चुककर्ता की संपत्ति का संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। (10) उपरोक्त बिडों हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतिम अनुमोदन के अंतर्गत होगी। (11) हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संशय में बात प्रमाणयों, यदि कोई हो, का निष्पन्न जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है : ज्ञान नहीं। दावा, यदि कोई, को सम्पत्ति पर किया गया हो या इसकी प्रकृति तथा मूल्य का कोई अन्य विवरण : ज्ञान नहीं। (12) इच्छुक पार्टियों से अनुमोद है कि वे संपादित विनिर्णयों / कार्यालयों से वैधानिक और अन्य देय बिलों/संविदा कर, बिजली बकाया, और सोसायटी बकाया का सत्यापन/पुष्टि कर लें। यह कंपनी संपत्ति पर किसी भी देय राशि के गुमान को कोई जिम्मेदार नहीं लेती है। (13) 1% का डीडीएफ, यदि कोई हो, उच्चतम बोलीदान द्वारा उच्चतम बोली देने वाले के अतिरिक्त जमा होगा। गुमानता को उच्चतम बोलीदाना द्वारा कंपनी के पैन में जमा करना होगा और चलाना की प्रति कंपनी को जमा करनी होगी। (14) यह बिडों पूरी तरह से इस विज्ञापन में शामिल विनिर्णयों और शर्तों तथा निर्धारित निविदा पत्रों के अंतर्गत हैं। (15) सफल बोलीदाना/क्रेता को कानून के अनुसार लागू बिक्री प्रमाण पत्र को पंजीकृत करने के लिए सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और आंकसिक खर्च वहन करना होगा। (16) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बोली को रद्दीकार या अस्वीकार करने या निविदा को खारिज / आस्थित/ रद्द करने और बिना किसी पूर्व सूचना के इस बिडों के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है। (17) इच्छुक बोलीदाता श्री राम मिश्रा से मो. नं. 9971808985 और कार्यालय समय के दौरान (सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं या सम्पत्ति/कनस्ट्रक्टर का खाता नं. का उत्तरवह करते हुए assetprossion@herofinl.com पर सम्पर्क/मेल कर सकते। (18) किसी अन्य विवरण या ई-नीलामी पर अनिश्चल प्रतिक्रिया हेतु सम्पादित बोलीदान तथा प्रस्ताव मेसर्स ई-प्रोक्वेस्ट टैकनोलॉजी लिमिटेड (ऑनलाइन टाइटम), ई-मेल आईडी : support@auctiontigger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।

कनस्ट्रक्टर/आधिकारिकता को 30 दिनों का बिडों सूचना

उपरोक्त कनस्ट्रक्टर/बधककर्ता/जमानती को एतद्वारा सूचना 13(2) के अंतर्गत आम सूचना में उल्लिखित राशि को नीलामी नीलामी की तिथि से पहले खरिद और स्वयं का प्रयास करने का अधिकार जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई भी, आरम्भ अग्रस्त और लागत के साथ वसूल किया जाएगा। बिडों के अंतर्गत संपत्ति और शर्तों के लिए, कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) को वेबसाइट वेबसाइट www.herohousingfinance.com पर लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice देखें।

कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
निर्देशक: 26 अगस्त, 2023
स्थान: दिल्ली/ग.रा.शे.

अधिकृत प्राधिकरण, श्री सुनील दावर, मो. 9818840495
ई-मेल : assettsinduction@herofinl.com

प्रश्न-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें

ब्रज वस्तुी न्यायाधिकरण, बंसीधर (डीआरटी-2)

प्रमाण ताल, एलकेओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, वनकन, (पूर्विय और पश्चिम तरफ पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित), वार्ड सं. ओर/872/2022

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ब्रज वस्तुी न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) निष्पत्तिकाठी, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (24) के तहत सम्पन्न

Exh. No. 19762

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स स्केफ विल्ड इंडिया

(1) **मैसर्स स्केफ विल्ड इंडिया, मैसर्स स्केफ इंडिया, पंजीकृत कार्यालय सरान बोखेलस, 16/2 मधुवा रोड, कारखाना भाग, फरीदाबाद, हरियाणा, इसके चार्टर्डन जयमती सिंह और मंगनीदी सिंह, फरीदाबाद, हरियाणा**

(2) **श्रीमती तिहा सुव रजिस्टर ऑफ, मकान नं. 507 सेक्टर 15ए फरीदाबाद फरीदाबाद, हरियाणा, एनई: मकान नं. 1118, सेक्टर 167, फरीदाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा**

सम्पन्न

बन्धकों, ओर/872/2022 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष **09.08.2023** को प्रस्तुत किया गया था।

बन्धकों, याक माननीय न्यायाधिकरण रु. **1,26,25,846.91** के ऋण को वसूली के लिए आपने विस्तृत दाखिल किए पत्र (ओ.ए.) के संक्षेप में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उल्ल आदेशन पर सम्पन्न/नोटिस जारी करने का अनुरोध कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रस्तावितों को निष्पन्न किया जाता है:-

(1) सम्पन्न को तामीने के तौर दिवस के भीतर करण बनाए कि प्रविष्टि राहत को मंजूर नही की जाए;

(ii) मूल आवेदन के क्रमक 3A के तहत आवेकत द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

(iii) आप को, सम्पत्ति की कुली के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निरालाप के दौरान, प्रभावशाली आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संबन्धवार अथवा निषादन करने की मनाही की जाती है।

(iv) आप किसी भी आस्तिस निम्न पर कोई प्रतिभूति हित सुनिश्चित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमक 3A के तहत आवेकत द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अनंश निष्पत्ति, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के सहायण केसों को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, नहीं करे;

(v) आप व्यवसाय के सहायण केसों में प्रभावशाली आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों को किसी से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिडों प्राणिकर्त इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित वाक व बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरोधित खाते में जमा करने हेतु निर्दिष्ट किया होगा।

आपको निश्चित बचान दाखिल करने, उसकी प्रति आवेकत को भुजिया कराने तथा दिनांक **11/12/2023** को पूर्ण, 10.30 बजे रजिस्ट्रार के सम्क्षेप पत्र लाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें अपरलक्ष रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर: **16/08/2023** को दिया गया।

सम्पन्न जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रश्न-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें

ब्रज वस्तुी न्यायाधिकरण, बंसीधर (डीआरटी-2)

प्रमाण ताल, एलकेओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, वनकन, (पूर्विय और पश्चिम तरफ पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित), वार्ड सं. ओर/675/2019

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ब्रज वस्तुी न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) निष्पत्तिकाठी, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (24) के तहत सम्पन्न

Exh. No. 19397

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स मेहता इंस्ट्राइजेज सेवा मै

(1) **मैसर्स मेहता इंस्ट्राइजेज पुणे/पत्नी/पुत्र श्रीमती नीलम मेहता, एफएमन प्रोप्राइटेरीज, प्लॉट नं. 1896/31 एक बॉम्बे, फ्लॉट कैम्पूरी के पास, गौडर पार्क, मुराहम हरियाणा 122001, इसके एफएमन प्रोप्राइटेरीज श्रीमती नीलम मेहता (उपकार्यकर्ता) के निवास से, मुम्बय, हरियाणा**

(2) **श्रीमती नीलम मेहता पत्नी श्री विनोद कुमार, पिम्बली प्लॉट नं. 1896/31, एक ब्लॉक, गौर कैम्पूरी के पास, गौडर पार्क, मुराहम, हरियाणा 122001**

सम्पन्न

बन्धकों, ओर/675/2019 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष **17-07-2023** को प्रस्तुत किया गया था।

बन्धकों, याक माननीय न्यायाधिकरण रु. **15,08,250/-** के ऋण को वसूली के लिए आपने विस्तृत दाखिल किए पत्र (ओ.ए.) के संक्षेप में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उल्ल आवेदन पर सम्पन्न/नोटिस जारी करने का अनुरोध कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रस्तावितों को निष्पन्न किया जाता है:-

(i) सम्पन्न को तामीने के तौर दिवस के भीतर करण बनाए कि प्रविष्टि राहत को मंजूर नही की जाए;

(ii) मूल आवेदन के क्रमक 3A के तहत आवेकत द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

(iii) आप को, सम्पत्ति की कुली के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निरालाप के दौरान, प्रभावशाली आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संबन्धवार अथवा निषादन करने की मनाही की जाती है।

(iv) आप किसी भी आस्तिस निम्न पर कोई प्रतिभूति हित सुनिश्चित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमक 3A के तहत आवेकत द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अनंश निष्पत्ति, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के सहायण केसों को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, नहीं करे;

(v) आप व्यवसाय के सहायण केसों में प्रभावशाली आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों को किसी से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिडों प्राणिकर्त इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित वाक व बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरोधित खाते में जमा करने हेतु निर्दिष्ट किया होगा।

आपको निश्चित बचान दाखिल करने, उसकी प्रति आवेकत को भुजिया कराने तथा दिनांक **25/09/2023** को पूर्ण, 10.30 बजे रजिस्ट्रार के सम्क्षेप पत्र लाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें अपरलक्ष रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर: **26/07/2023** को दिया गया।

सम्पन्न जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रश्न-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें

ब्रज वस्तुी न्यायाधिकरण, बंसीधर (डीआरटी-2)

प्रमाण ताल, एलकेओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, वनकन, (पूर्विय और पश्चिम तरफ पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित), वार्ड सं. ओर/675/2019

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ब्रज वस्तुी न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) निष्पत्तिकाठी, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (24) के तहत सम्पन्न

Exh. No. 19397

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स मेहता इंस्ट्राइजेज सेवा मै

(1) **मैसर्स मेहता इंस्ट्राइजेज पुणे/पत्नी/पुत्र श्रीमती नीलम मेहता, एफएमन प्रोप्राइटेरीज, प्लॉट नं. 1896/31 एक बॉम्बे, फ्लॉट कैम्पूरी के पास, गौडर पार्क, मुराहम हरियाणा 122001, इसके एफएमन प्रोप्राइटेरीज श्रीमती नीलम मेहता (उपकार्यकर्ता) के निवास से, मुम्बय, हरियाणा**

(2) **श्रीमती नीलम मेहता पत्नी श्री विनोद कुमार, पिम्बली प्लॉट नं. 1896/31, एक ब्लॉक, गौर कैम्पूरी के पास, गौडर पार्क, मुराहम, हरियाणा 122001**

सम्पन्न

बन्धकों, ओर/675/2019 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष **17-07-2023** को प्रस्तुत किया गया था।

बन्धकों, याक माननीय न्यायाधिकरण रु. **15,08,250/-** के ऋण को वसूली के लिए आपने विस्तृत दाखिल किए पत्र (ओ.ए.) के संक्षेप में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उल्ल आवेदन पर सम्पन्न/नोटिस जारी करने का अनुरोध कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रस्तावितों को निष्पन्न किया जाता है:-

(i) सम्पन्न को तामीने के तौर दिवस के भीतर करण बनाए कि प्रविष्टि राहत को मंजूर नही की जाए;

(ii) मूल आवेदन के क्रमक 3A के तहत आवेकत द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

(iii) आप को, सम्पत्ति की कुली के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निरालाप के दौरान, प्रभावशाली आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संबन्धवार अथवा निषादन करने की मनाही की जाती है।

(iv) आप किसी भी आस्तिस निम्न पर कोई प्रतिभूति हित सुनिश्चित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमक 3A के तहत आवेकत द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अनंश निष्पत्ति, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के सहायण केसों को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, नहीं करे;

(v) आप व्यवसाय के सहायण केसों में प्रभावशाली आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों को किसी से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिडों प्राणिकर्त इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित वाक व बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरोधित खाते में जमा करने हेतु निर्दिष्ट किया होगा।

आपको निश्चित बचान दाखिल करने, उसकी प्रति आवेकत को भुजिया कराने तथा दिनांक **25/09/2023** को पूर्ण, 10.30 बजे रजिस्ट्रार के सम्क्षेप पत्र लाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें अपरलक्ष रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर: **26/07/2023** को दिया गया।

सम्पन्न जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

UNITY

सुनील स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 27 सी.टी. रोड, जी.एन.एच. फ्लॉट नं. 120, जन्मा जेम्स के अंतर्गत, भाग 180000 मीटर, तीसरी मंजिल, फ्लैट नं. 1, सेक्टर-ए-5, नरैला आवासन योजना, नरैला, दिल्ली। 110040 को सेआइट योजना में स्थित है।

सौजन्यपूर्ण सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए नियम 8 (ब) के तहत)

उपरोक्त, आधिकारिकता विनियम परामर्शना के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पडिटे वित्तीय बँक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठितगारा 13(2) के तहत वचन शर्तियों को प्रमाणित करते हुए 19/06/2023 (सुविधान दिनांक 19-06-2023 के साथ पत्र) को एक हिमांड ड्राफ्ट जारी किया जिसमें कर्जदार और गारंटरों से उक्त नोटिस की प्रतियों की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाना का आहवान किया गया। कर्जदार और गारंटरों द्वारा राशि का गुमान करने में विफल रहने पर, कर्जदार एवं गारंटरों और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधिकारवादी को एक अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित-उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रमाण की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24.08.2023 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

वित्तीय रूप से कर्जदारों एवं गारंटरों और आम जनता को एतद्वारा धेतानी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का नेशन-डेन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का नेशन-डेन करने पर संपत्ति को निलंबित करके लिमिटेड को उल्लिखित राशि और उत्तरवार ब्याज के प्रभार के अंतर्गत होगा।

प्रतिभूति संपत्तियों को गुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के तहत उपाकरता का ध्यान अनिवार्य किया जाता है।

कर्जदारों एवं गारंटरों	बँक संपत्तियों का विवरण	बकाया बचराशि
1. योशिया एन	संपत्ति खस्ता Y/674, सेक्टरक 68 वनक, पानी 54, 34 वनक मीटर, फ्लिप/आपठितगारा 54, 34-54-34 वनक मीटर, विखिम मूलात पर दो कमरे का फ्लैट, पहली मंजिल पर दो कमरे का सेट, प्लॉट के अतिरिक्त के साथ, अंतिम मंजिल तक ऊपरी निमिग के अतिरिक्त के साथ, बिजली से सुविधाजनक, मीटर के साथ नल का पानी, खरब नंबर 584 /74 से बाहर, गली नंबर 7, रुपरवर्ग/नंबर 01, गौली नगर, ग्राम सीएमएच, इलाका शाहदपुर, दिल्ली-110041 के क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति का यह सफल दुकान एवं ऑफ और निम्न सीमाओं से घिरा हुआ है (बिडों पर के अनुसार)	15/06/2023 के अनुसार रु. 18,37,539.72/- (अष्टाद लाख सौ सैतीस हजार पांच सौ उन्तासीस रुपये और केवल बहातर पंद्रह सौ ही लागू ब्याज और अन्य शुल्क।

दिनांक: 26/08/2023 स्थान: शाहदपुर, दिल्ली (प्राधिकृत अधिकारी) सुनील स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

एसपीएस इंटरनेशनल लिमिटेड

सीआरएफ: L74140HR1993PLC031900

रिज. कार्यालय- प्लॉट नंबर 15/1, भूतल, मुख्य मधुवा रोड, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

ईमेल: info@spsintl.co.in **वेबसाइट:** www.spsintl.co.in

संपर्क नंबर: 0129-7117719

29वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी को 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को दोपहर 3.00 बजे भा.मा.स. बॉडींगो कार्पोरेशंस ("बीसी")अन्य ऑडियो-विजुअल सामग्री ("ऑडियो/वीए") के माध्यम से सुश्रीयत वृत्ताने के लिए परिचालित एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का लेखनद कर के लिए मान्य स्थल कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 15/1, भूतल, मुख्य मधुवा रोड, फरीदाबाद-121003, हरियाणा पर आयोजित की जाएगी।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी प्रयोच्य परिपत्रों के अनुपालन में कम्पनी ने वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ 30वीं एजीएम की सूचना उक्त सदरवृत्तों की ई-मेल कर दी है, जिसके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। इस वृत्त में भी नियामकों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की भीतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समझ कर दिया गया है, जब तक कि शेयरधारक वार्षिक विवरण रूप से अनुसूच न किया गया हो। भीतिक रूप में या डीमटेडरियलाउडरूप में शेयर खरिद या बिलेदपद, एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार, व्यवसायिक मर्तों पर इलेक्ट्रोनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मत का प्रयोग किया है, वे भी एजीएम पर वोट डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें बैटक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, रिमोट ई-वोटिंग सुविधा वैकल्पिक है और कोई सदस्य बॉडींगो कार्पोरेशंस ("बीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल सामन ("ऑडियोएम") के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के दौरान ई-वोटिंग द्वारा वोट डाल सकता है।

ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि बुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 है और जिस व्यक्तिक की सूचना में कट-ऑफ तिथि तहत सदरवृत्तों के रजिस्ट्रार के साथ डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लागूनीय तिथियों के रजिस्ट्रार में दर्ज है, केवल यह रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगलवार, 19 सितंबर, 2023 को सुबह 9 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। ई-वोटिंग पोर्टल को मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के बाद बंद कर दिया जाएगा। एक बार सदरवृत्त द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, सदरवृत्त की वार्द में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, यह helpdesk एवेंटिंग@edsintl.com पर अनुरोध भेजकर आवश्यक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.spsintl.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में, सदस्य www.evotingindia.com पर उपलब्ध 'हेल्प' खण्ड के तहत **Frequently Asked Questions ("FAQs")** तथा **E-voting manual** देख सकते हैं या helpdesk.evoting@edsindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं। ई-वोटिंग सुविधा से सम्बन्धित किसी शिकायत के मामले में info@spsintl.co.in पर ई-मेल द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है।

आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, यह ध्यान दिया जाये कि एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदरवृत्तों का रजिस्ट्रार और कर्म ट्रॉन्सफर बुक सनवार, 16 सितंबर, 2023 से बुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

/.../ साँभय म.../ कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी एम.ए.-ए 36879

दिनांक: 25 अगस्त, 2023
स्थान: फरीदाबाद

भारत गीयर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 20 कि.मी. मधुवा रोड, पी.ओ. अगर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
दूरभाष: +91 (129) 4288888
वेबसाइट: www.bhargears.com ई-मेल: info@bgindia.com
सीआईएन: L29130HR1971PLC034365

वार्षिक आम बैठक एवं रिपोर्ट ई-मतदान की जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारत गीयर्स लिमिटेड के सदरवृत्तों की 61वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुक्रवार, 20 सितम्बर, 2023 को सुबह 11:30 बजे बॉडींगो-सम्पन्न (बीसी)/ऑडियो ऑडियो-विजुअल माध्यम (ऑडियोएम) से आयोजित होगी, जिसमें निर्धारित व्यवसायों को निष्पत्तिद करने के लिए सूचना पहले ही शेयरधारकों को भेज दी गयी है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 05 मई, 2020 को जारी सामान्य परिचय संख्या 20/2020 के साथ पठित, 05 मई, 2022 को जारी सामान्य परिचय संख्या 02/2022 एवं 28 दिसम्बर, 2022 को जारी सामान्य परिचय संख्या 10/2022 में बॉडींगो कार्पोरेशंस (बीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ऑडियोएम) से वार्षिक आम सभा (एजीएम) आयोजित करने पर स्पष्टीकरण (एमसीए परिचय) के संबंध में बीसी या ऑडियोएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक को एक आम स्थल पर सदरवृत्तों की भीतिक उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुमति दी है। इन एमसीए परिचयों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (सूचक)करण दारिद्र्य एवं प्रकटीकरण आदेशकारण) विनियम, 2015 ("विनियम") से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के सदरवृत्तों की वार्षिक आम बैठक को बीसी/ऑडियोएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

वित्तीय सूचना 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल उक्त सदरवृत्तों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी गई है, जिन्कों ई-मेल पता company@bgiindia.com के साथ एमसीए परिचयों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा 05 जनवरी, 2023 को जारी परिचय संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पीसीआईआईए/2023/4 के अनुसार पंजीकृत है तथा क्रमशः <https://www.bhargears.com/documents/notice-of-51st-AJM.pdf> एवं <https://www.bhargears.com/documents/annual-report-2022-23.pdf> लिंक पर उपलब्ध है। वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निदेश वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए हैं। बीसी/ऑडियोएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदरवृत्तों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रावधानों के लिए निर्णय जाएगा।

एतद्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित नियम 20 कंपनी (बंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 एवं आगे के संशोधन एवं सेबी अधिनियम, 2015 के अधिनियम 44 के संशर्त में कंपनी बुक्रवार, 20 सितंबर, 2023 को आयोजित होने वाली वार्षिक आम बैठक में व्यवसाय निष्पत्ति करने के लिए शेयरधारकों को सहई ई-मतदान (एजीएम) के आयोजन स्थल के अलावा दूरदर्शन भेजों से मतदान) की सुविधा स्थित इन्टरनेट डेडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआइएडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा प्रदान की गई है। उक्त माध्यम से उपलब्ध करा रही है। सभी सदरवृत्तों को सूचित किया जाता है कि (क) 61वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा निष्पत्ति किया जा सकता है। (ख) रिमोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान 17 सितंबर, 2023 को प्रातः 09:00 बजे से आरंभ होगा, (ग) रिमोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मतदान 19 सितंबर, 2023 को प्रातः 05:00 बजे बंद होगा, (घ) रिमोट ई-मतदान के मताधिकार विवरण के तहत एक-ऑफ तिथि 13 सितंबर, 2